प्रेस विज्ञप्ति
09.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.02.2024 को मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड और मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रमोटरों प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को गिरफ्तार किया है। प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड, मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम सिंघी, पदम सिंघी और अन्य के विरुद्ध सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर के अनुसार, प्रेम सिंघी और पदम सिंघी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंकों से 252 करोड़ रुपए [मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त] और 65 करोड़ रुपए [मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त] की धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला कि खर्चों की आड़ में पैसा विभिन्न फर्जी/डमी कंपनियों को हस्तांतरित किया गया और प्रमोटरों द्वारा इसकी हेराफेरी की गई। रकम को कंपनी के अलग-अलग खातों में परिचालित/पुनर्निर्देशित किया गया ताकि बैंक ऋण के इच्छित उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग न किया जा सके। धनराशि को इस प्रकार छुपाया गया ताकि धन शोधन का पता न लगाया जा सके।

हेराफेरी किए गए पैसे को प्रमोटरों और परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न कंपनियों में रखा गया था, जिनका प्रबंधन उनके करीबी/ज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता था। संपत्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग फर्जी कंपनियों में रखा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक उन लाभकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों से ऋण राशि की वसूली नहीं कर सकें। ऐसे ही एक उदाहरण में, शिव-वाणी एनर्जी लिमिटेड [एसवीओजीएल की समूह कंपनी] के पास 57 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी के शेयर थे। बैंक द्वारा बैंक ऋण की वसूली हेतु इन शेयरों को प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रोमोटरों ने विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची। शिव-वाणी एनर्जी लिमिटेड ने इन शेयरों को केवल 3.53 करोड़ रुपए में मैसर्स रेसिम्पेक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड [जिसका नियंत्रण/लाभकारी स्वामित्व पदम सिंघी के पास है] नामक एक अन्य इकाई को हस्तांतरित कर दिया। शेयर प्राप्त करने के बाद, मैसर्स रेसिम्पेक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त शेयरों को 57 करोड़ रुपए में स्थानांतरित कर दिया। मैसर्स रेसिम्पेक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग प्रमोटरों द्वारा विभिन्न निवेशों के लिए किया गया था।

ईडी ने 15.12.2023 को समूह की संस्थाओं/व्यक्तियों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान, फर्जी लेनदेन और फर्जी संस्थाओं के साथ लेनदेन से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए। शेयरों और अचल संपत्तियों में कई निवेशों का विवरण भी मिला। खोज के बाद की जांच के आधार पर, 25.01.2024 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 58.82 करोड़ रुपए की संपत्ति/निवेश जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।